10/6/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर नही है। वादी का वाद आर्डर 9 R 3 जा.डी. मे स्वयं द्वारा खारिज किया जा चुका है अब T.I प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नही रह जाता है इसलिए प्रार्थी का प्रा.पत्र 9 R 3 जा.डी. में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2024.11.05 13:22:46 IST
Reason: SelfAttested